भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-1216
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

गैर-मान्यता प्राप्त वद्यालय

†1216. श्री अर वंद गणपत सावंतः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार को जानकारी है क देश में अनेक वद्यालय संबं धत राज्य सरकारों से मान्यताप्राप्त कए बिना संचा लत कए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा संबं धत राज्य सरकारों से मान्यता/अनुमति के बिना वद्यालयों की स्थापना और संचालन के संबंध में कोई नियम/दिशानिर्देश/मानदंड निर्धारित कए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने वगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे वद्यालयों के प्रबंधन के वरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची का एक वषय है। केंद्र सरकार के स्वा मत्व/वत्तपो षत वाले वद्यालयों को छोड़कर अन्य वद्यालय संबं धत राज्य सरकारों के अ धकार-क्षेत्र में आते हैं। इस लए ऐसे स्कूलों के प्रबंधन से संबं धत मामले जो केंद्र सरकार के स्वा मत्व/वत्तपो षत नहीं है। संबं धत राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार वनिय मत कए जाते है। इस प्रकार, गैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के वरूद्ध उन्हें निय मत करना/कार्रवाई करना संबं धत राज्य/संघ राज्य सरकार का वषय है।

तथा प, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 (आरटीई अ धनियम , 2009) के अंतर्गत, छह से चौदह वर्ष के आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती

वद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथ मक शक्षा प्राप्त करने का अ धकार है। आरटीई अ धनियम, **2009** की धारा **12(1)(**ग**)** में कमजोर वर्गों और वं चत समूहों के बच्चों के लए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम **25%** सीटों की सीमा तक आरक्षण तथा ऐसे बच्चों को शक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथ मक शक्षा प्रदान करने का अ धदेश करती है।

साथ ही, आरटीई अ धनियम की धारा 19 में निर्धारित है क इस अ धनियम के लागू होने के पहले स्था पत और इन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ऐसे वद्यालय इस अ धनियम के लागू होने की ति थ से तीन वर्ष पहले इन मानदंडों को पूरा करने के लए कदम उठाएंगे। इस अ धनियम में यह भी अ धदेश है क यदि ऐसे वद्यालय इन मानदडों को पूरा नहीं कर पाते है तो मान्यता वापस ले ली जाएगी और वद्यालय कार्यशील नहीं रहेगा। शक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने यूडाइज कोड के साथ कार्यशील गैर-मान्यताप्राप्त ऐसे वद्यालयों की सूचना निर्धारित की है और संबं धत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गैर-मान्यता प्राप्त वद्यालयों के ब्यौरा साझा कए हैं ता क उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या के राज्य/संघ राजय-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

गैर-मान्यता प्राप्त वद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अर वंद गणपत सावंत, श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा पूछे गए दिनांक **08.12.2025** के लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1216** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संद र्भत अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या का ब्यौरा **(2024-25)**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-मान्यताप्राप्त वद्यालयों की संख्या **(2024-25)**
आंध्र प्रदेश	**108**
अरुणाचल प्रदेश	**28**
असम	**2475**
बिहार	**4159**
छत्तीसगढ़	**12**
हरियाणा	**641**
जम्मू और कश्मीर	**12**
झारखंड	**5701**
कर्नाटक	**1**
केरल	**765**
मध्य प्रदेश	**12**
महाराष्ट्र	**182**
म णपुर	**83**
मेघालय	**491**
मजोरम	**57**
ओ डशा	**945**
राजस्थान	**26**
त मलनाडु	**165**
तेलंगाना	**44**
त्रिपुरा	**45**
उत्तराखंड	**11**
पश्चिम बंगाल	**3555**
भारत	**19518**

स्रोत: यूडाइज+

*****